


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 30.1.18


संख्या-12/प0-(मू0को0) 4015/2011- सा0प0- 1447/ श्री अशोक कुमार तिवारी, (वि0प0से0 मू0को0), कोटि क्रमांक 1032/11, गृह जिला-30प0 (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक वरीय उप समाहर्ता, सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विमलेश कुमार झा)
30/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक-12/प0-(मू0को0) 4015/2011-सा0प0- 1442 /पटना, दिनांक- 30.1.18
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सुपौल/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा 2 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव
30/1/18